मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

सफाई कर्मियों को 5 महीने से वेतन नहीं 3
क्या दो महीने में नीलम पुल की मरम्मत हो पाएगी ? 4
राष्ट्रवादी हिन्दू नेता मसाले में मिला रहा था गधे की लीद 5
पेट्रोल की क़ीमत के नाम पर बनाया जा रहा है उल्लू 6
बिजली निगम में स्टाफ नहीं, कैश लेने पर है जोर 8

वर्ष 34 | अंक 6 | फरीदाबाद | 20-26 दिसम्बर 2020 | फोन-8851091460 | ₹ 3.00

एशियन अस्पताल में इलाज के नाम पर वसूले तीन लाख लेकिन राहत मिली सरकारी अस्पताल से

टेस्ट के नाम पर सरेआम ठगी कर रहे हैं फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल

फ़रीदाबाद (म.मो.) तमाम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सेक्टर 21 ए के रिहायशी मकानों के बीच, जन विरोध के बावजूद बना एसियन अस्पताल इलाज के नाम पर आम जनता को ठगने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता। आज से नहीं जब से यह बना है तभी से इसका यह धंधा पूरे जोरों से चल रहा है।

अभी-अभी ठगी का जो मामला सामने आया है वह तो गजब है जिस पर तुरंत एफ़आईआर दर्ज हो जानी चाहिये थी तथा इसके मालिकान को गिरफ़्तार कर लिया जाना चाहिये।

मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 18 निवासी आरडी यादव अपनी पत्नी की सांस सम्बन्धी शिकायत को लेकर पांच दिसम्बर को डेढ बजे दिन के इस ठगी केन्द्र पर पहुंचे। हाथ आये शिकार को देखते ही डॉक्टरों के नाम पर तैनात शिकारियों ने मरीज को आईसीयू में भर्ती कर लिया क्योंकि वार्ड के बिस्तर की अपेक्षा आईसीयू के बिस्तर कई गुणा अधिक लूट होती है।

इलाज के नाम पर सबसे पहले कोरोना का दो बार टेस्ट किया गया, एक रेपिड एंटिजन व दूसरा आरटी-पीसीआर, दोनों की कीमत 1400 रु. वसूली गयी। इसके बाद छाती का एक्सरे और सीटी स्कैन किया। उसी दिन पहला एक्सरे तो पोर्टेबल से किया जिसकी कीमत 1069 रुपया व दूसरा स्टेबल से किया जिसकी कीमत 570 रुपया, सीटी स्कैन के 5988 रुपये वसूले। यह सब तो हो गया पांच तारीख को।

इसके बाद सात तारीख को पेट का अल्ट्रासाऊंड कर 2851 रुपये बिल में जोड़े गये, तुरंत बाद पोर्टबल अल्ट्रासाऊंड कर के 2138 और रुपये बिल में जोड़ दिये। फ़िर 9 तारीख को पोर्टेबल एक्सरे के 1069 रुपये लगा दिये। इसके बाद बल्ड गैस एनालिसिस का कार्यक्रम शुरू हुआ। कुल तीन दिन आईसीयू में रखने के बाद जब परिजनों ने मरीज को ले जाने की धमकी दी तो भी जनरल वार्ड में न रख कर सिंगल रूम में शिफ्ट किया जो अपेक्षाकृत महंगा होता है। दिनांक 11 दिसम्बर तक जब मरीज को कोई लाभ नहीं हुआ तो परिजनों ने बड़ी मुश्किल से मरीज़ को डिस्चार्ज कराया।

बिल का पूरा ब्योरा देते हुए आरडी यादव ने बताया कि इन 6 दिनों में डॉक्टर प्रथा नायर ने 11 बार मरीज को देखने की फ़ीस 900 रुपये प्रति विजिट की दर से 9900 रु. वसूली, डॉ. संदीप भट्टाचार्य ने 900 रु. प्रति विजिट के हिसाब से 6 विजिट के 5400 रु. वसूले, डॉ. बेद प्रकाश ने मात्र एक विजिट के 900 रुपये बिल में चढाये।

इन दिनों में मरीज के चार बार एक्सरे, तीन बार अल्ट्रासाऊंड, कुल सात बार ब्लड गैस एनालिसिस करने के नाम पर 1500 के हिसाब से 10500 रु. बना दिये। एक ईसीजी के 356 रुपये तथा ईको के नाम पर 5988 रुपये, 10 तारीख को पैट सीटी के नाम पर 33145 रु.बिल में चढा दिये। इतना सब के बावजूद लैब सर्विस चार्जेस के नाम पर 58300 रुपये तथा 3200 रुपये ऑक्सीजन तथा डिस्पोजेबल के नाम पर 37996 रु., प्रोसीजर चार्जेस के नाम पर 19766 रु. और दवायें जो खिलाई उसके 18833 रुपये। कुल मिला कर इन छः दिनों का बिल बना दिया 283196रु.।

यादव जी ने मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी थी कैशलैस वाली। लिहाजा अस्पताल ने जब बीमा कम्पनी को बिल भेजा तो वहां अस्पतालों की ठग्गी पकड़ने को तैनात डॉक्टरों ने यह ठग्गी पकड़ते हुए कुल 155602 रु. ही पास किये। यानी 127596 रुपये की रकम को कम्पनी ने ठग्गी मानते हुए काट दिया। लेकिन इलाज के नाम पर ठग्गी का धंधा करने वालों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है उन्होंने तो बाकी रकम यादव जी से वसूल कर ली।

यहां सवाल यह पैदा होता है कि जब बीमा कम्पनी ने यह ठग्गी पकड़ ली तो शासन-प्रशासन उसका संज्ञान लेकर इन ठग्गों के विरुद्ध उचित कार्यवाही क्यों नहीं करता? बहुत जरूरी हो तो इनके बिलों की जांच स्थानीय सिविल सर्जन से भी कराई जा सकती है। परन्तु यह सब कोई क्यों करे? सर्वविदित है कि तमाम राजनेता व अधिकारीगण इन ठग्गों की सेवाओं से नवाजे जाते हैं। ठग्गों के जाल से छूटने के बाद मरीज के परिजनों ने ऑनलाइन पता लगाया तो उन्हें महरोली स्थित छाती एवं श्वास संस्थान का पता चला जो सरकारी है। वहां मरीज़ को ले जाया गया 14 तारीख को, मात्र तीन-चार घंटों में वहां के डॉक्टरों ने एसियन अस्पताल के तमाम काग़जों को बकवास एवं वाहियात बताते हुए एक्सरे निकाला, तुरंत रिपोर्ट भी आ गयी, दवा भी दे दी और एक सप्ताह बाद दोबारा दिखाने को कहा।

बीते तीन दिन से मरीज़ को अब काफ़ी आराम है। 500 बिस्तरों वाले उस संस्थान के पास आईसीयू भी है लेकिन उन्होंने मरीज को भर्ती करने लायक ही नहीं समझा क्योंकि उनका धंधा ठग्गी का नहीं इलाज करने का है।

शिक्षा माफिया के दबाव में खट्टर सरकार का कॉलेज फीस पर अजीबोगरीब आदेश

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने 14 दिसम्बर को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिए कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर छात्र-छात्राओं से अनावश्यक फीस न वसूली जाए। सरकार ने इस निर्देश में खासतौर से निजी और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को भी शामिल किया। इस निर्देश का मकसद खट्टर सरकार के तमाम लकीर पीटने वाले आदेशों की तरह साबित हुआ।

14 दिसम्बर को खट्टर सरकार का निर्देश जारी होने से बहुत पहले बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज, डीएवी कॉलेज जैसे प्राइवेट कॉलेजों ने स्टूडेंट्स से सारी फीस ले ली थी। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि वे दिसम्बर के पहले ही हफ्ते में अग्रवाल कॉलेज में 26000 रुपये एडवांस फीस जमा करा चुके हैं। कुछ कॉलेजों में तो दो सेमेस्टर की एडवांस फीस जमा करा ली गई है।

हाल ही में मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ने के बाद जब स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने विरोध किया तो सरकार नींद से जागी। लेकिन राज्य की जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों ने फीस बढ़ा

फरीदाबाद के प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी

दी और उसे वसूल भी लिया, उस समय खट्टर सरकार मूक दर्शक बनी रही। अब जब 14 दिसम्बर को जो नया निर्देश जारी किया, उसमें आदेश जैसी कोई बात नहीं है। यानी कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया गया कि वे अनावश्यक बढ़ी हुई फीस न वसूलें।

अगर सरकार यही आदेश जारी करती तो स्टूडेंट्स की मदद हो जाती। खट्टर सरकार के इस निर्देश से साफ है कि उसने जो हरकत स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के मामले में की, उसने वही हरकत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के मामले में भी की है। खट्टर सरकार किस तरह शिक्षा माफिया के दबाव में है, इस निर्देश से साफ है।

स्कूलों की मनमानी जारी

खट्टर सरकार की कमजोरी के चलते न सिर्फ फरीदाबाद, गुड़गांव बल्कि राज्य के सभी निजी पब्लिक स्कूल बच्चों और अभिभावकों को लूटने में लगे हुए हैं। मजदूर मोर्चा इस मुद्दे को पहले भी उठा चुका है

शेष पेज दो पर

पूर्व आईपीएस कोशी कोशी का निधन

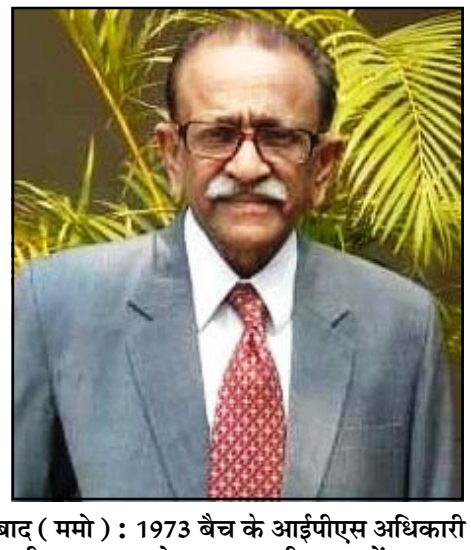

फरीदाबाद (ममो) : 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी कोशी कोशी का क्यूआरजी अस्पताल, सेक्टर 16 फरीदाबाद में शुक्रवार दिन के तीन बजे निधन हो गया। वे अस्सी के दशक में दो वर्ष फ़रीदाबाद में एसपी रहे थे। जनवरी 2009 में वे डीजी बीपीआरडी, भारत सरकार, के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी उम्र क़रीब 72 साल थी। कोशी को एक कुशल पुलिस अधिकारी और शानदार इंसान के रूप में याद किया जाएगा। अवकाश प्राप्ति के बाद उनका काफ़ी समय चिड़ियों के अध्ययन और फ़ोटोग्राफ़ी में व्यतीत होता था। मूलतः केरल निवासी कोशी ने फ़रीदाबाद सेक्टर 17 में निवास बना लिया था। उनके परिवार में पत्नी और एक बेटी व बेटा हैं।

रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पर्यावरण फ़ोटोग्राफ़ी को अपना शौक़ बना लिया था।